:: विज्ञप्ति::

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या:260/XXIII/2017/04(01) 2017 दिनांक 19 मई, 2017 तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या:2068/सात लाई0–120/व्यव0/2017–18/सा0निर्देश/देहरादून दिनांक 19 मई 2017 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद टिहरी गढवाल की अव्यवस्थित विदेशी मदिरा दुकान चम्बा का दूसरे चरण में भी व्यवस्थापन नहीं हो पाया है। अतः विदेशी मदिरा दुकान चम्बा के तृतीय चरण में व्यस्थापन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। दुकान का विवरण निम्नानुसार है:–

क0 सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिए कुल राजस्व	दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिए लाईसेंस फीस	दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिए अधिभार	धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) कुल राजस्व का 2 प्रतिशत	निर्धारित हैसियत की धनराशि (कुल राजस्व का 10 प्रतिशत)	प्रतिभूति की धनराशि
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2	चम्बा	65390301	5231000	60159301	1307806	6539030	12031860

ईच्छुक पात्र आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, शपथ पत्र व पहचान पत्र तथा रूपये 25000/– आवेदन शुल्क व वांछित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पक्ष में देय हो, सहित दिनांक 01.06.2017 को अपरान्ह 02.00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय नई टिहरी में जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि तक एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दुकान का आवंटन सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से दिनांक 01.06.2017 की सांय 05.00 बजे से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति के समक्ष जिला कार्यालय के सभागार में किया जायेगा। दुकान से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय नई टिहरी व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 टिहरी से प्राप्त की जा सकती है।

(संजय कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी
टिहरी–गढ़वाल।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढवाल ।

संख्या–104/5–आब/व्यवस्थापन/2017–18/दिनांक नई टिहरी मई 31 2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक प्रचार प्रसार की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विभागीय बेबसाईट पर उक्त सूचना को अपलोड़ करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, टिहरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति/सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ बेबसाईट www.nic.in पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में सरकारी दर से दिनांक 31.05.2017 को प्रकाशित होने वाले संस्करण में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सूचना पट जिला कार्यालय/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, नई टिहरी।

31/05/17
(संजय कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी
टिहरी–गढ़वाल।